न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरियां, RAS

अपील संख्या 18/2023

1 श्रीमती निर्मला कुलहार स्त्री यशवीर सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 प्रज्ञ कुलहार पुत्र यशवीर सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 कुलदीप सिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नम्बर 21/11 चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 प्रदीप सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नम्बर 21/11 चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 दिव्य कुलहार पुत्र यशवीर सिंह जाति जाट निवासी देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.12.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी कुलदीप वगैरह बनाम निर्मला वगैरह मुकदमा नम्बर 181/2021 दावा बाबत खाता विभाजन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(सीकर/झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुस्ताक अली खांन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 6/1/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 181/2021 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 2.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 0.19 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष उक्त जमीन के बाबत वाद पत्र बाबत बंटवारा पेश किया जिस वाद पत्र को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.12.2022 को एकपक्षीय रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की। अपीलांट नम्बर 2 विधुत विभाग में कार्यरत है जबकि अपीलांट के नाम का नोटिस सार्वजनिक निर्माण विभाग में भेजा गया है तथा नोटिस दिनांक 20.12.2021 के रोज रेस्पोडेंट नम्बर 3 विदेश था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की बिना पर्याप्त तामील बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर गलत रूप से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी

आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी गलती की है। कानून से विभाजन के वाद में प्रत्येक को टिनेन्ट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिए। अपीलांट के साथ उपरोक्त आशय के प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की गई। आलौच्य निर्णय व डिक्री अस्पष्ट है। आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने का आधार दर्ज नही है। अपीलांट विवादित जमीन के सहखातेदार है तथा अपने हक हिस्सा की जमीन को अच्छी तरह से सुधार कर काबिज काश्त है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.12.2022 खारिज की जाकर पत्रावली को विचारण न्यायालय के इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे की अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील के उपरान्त विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के हिस्से अथवा रकबे के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नही किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 3 दिनांक 20.12.2021 को विदेश में था, इस तथ्य की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही की गई है। अपीलांट ने अपने अपील में गुणावगुण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील के उपरान्त विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार के हिस्से अथवा रकबे के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नही किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 3 दिनांक 20.12.2021 को विदेश में था, इस तथ्य की कोई साक्ष्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अपील अधिकारी

पत्रावली पर नही की गई है। अपीलांट ने अपने अपील में गुणावगुण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्व एजेन्सी द्वारा विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार किये जाने है। अपीलांट इन विभाजन प्रस्तावों पर विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री मे हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/11-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर